



Gram Panchayat Laharpur, (Naveen Club Godan Tola) Distt. Anuppur (M.P.)

शासकीय महाविद्यालय जैतहरी जिला अनूपपुर
और
ग्राम पंचायत लहरपुर (नवीन क्लब गोदान टोला)
के बीच
क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में सहयोग
पर
समझौता ज्ञापन

यह संयुक्त समझौता ज्ञापन वह रूपरेखा प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत विस्तृत जानकारी दी गई है जिसे निम्न तथ्यों पर समझा जा सकता है-

अनुच्छेद 1: सामान्य उद्देश्य

- खेल के क्षेत्र में पार्टियों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव और पारस्परिकता के आधार पर ग्रामीणों के विकास और उत्कृष्टता पर संयुक्त रूप से विचार किया जाना है।
- दोनों पक्ष संबंधित नियमों के तहत बाहरी टीमों के बीच और उनके माध्यम से, जैसा उपयुक्त हो, सहयोग को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों ही पार्टियां मिलकर इस तरह की प्रतियोगिता के माध्यम से जनमानस को खेल के प्रति जागरूक करना भी है।
- साथ ही इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीणों को शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूक करना है।

अनुच्छेद 2: सहयोग के क्षेत्र

- इस प्रतियोगिता के माध्यम से सहयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, योगदान के महाविद्यालय के नियमों की सीमा के साथ, निम्नलिखित मामलों में कार्यक्रम के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित और बढ़ावा देगा;
 - महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/अतिथि विद्वान/अधिकारी/कर्मचारी गण से प्राप्त स्वैच्छिक राशि द्वारा आर्थिक सहयोग
 - ट्रॉफी एवं पेंडल
 - फुटबॉल मैदान
 - बॉल (फुटबॉल)
 - सर्टिफिकेट
 - रेफरी एवं ऑफिशियल
 - स्टांपवांच
- आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत लहरपुर (नवीन क्लब गोदान टोला) द्वारा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिये विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रशिक्षक आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद 3: सहयोग की अवधि और शर्तें



Gram Panchayat Laharpur, (Naveen Club Godan Tola) Distt. Anuppur (M.P.)

- शासकीय महाविद्यालय जैतहरी द्वारा प्रदान की जा रही उपरोक्त सुविधाएं एवं सहयोग हेतु बाध्य नहीं होगा।
- उपरोक्त समझौता, समझौता तिथि से आगामी 5 वर्षों के लिए रहेगा।
- शासकीय महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय स्तर किए जा रहे हैं उपरोक्त समझौते को महाविद्यालय में विद्यमान विभिन्न समितियों के सहमति से ही सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- विवाद का निपटारा जैसे विशेष परिस्थितियों में पूर्ण अधिकार महाविद्यालय के पास होगा।
- इस संयुक्त समझौता हेतु शासकीय महाविद्यालय जैतहरी निर्धारित 5 वर्षों के सहयोग समझौते पर जुड़े रहने के लिए बाध्य नहीं है।
- महाविद्यालय चाहे तो तय समयावधि से पूर्व भी दूसरे पक्ष को पत्र लिखकर समझौता समाप्त कर सकती है।
- जिला स्तरीय / क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता हेतु शासकीय महाविद्यालय द्वारा दी जा रही है सहयोग राशि स्वैच्छिक राशि होगी।

अनुच्छेद 4: अनुदान

- इस समझौता ज्ञापन के तहत सभी सहकारी गतिविधियां और कार्यक्रम पार्टियों के धन और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन होगा।
- मेहमान पार्टी अपने स्वयं के यात्रा व्यय को वहन करेगी और मेजबान पार्टी उपरोक्त अनुच्छेद 2 संसाधनों प्रदान करेगी।
- धन एवं अन्य संसाधन संबंधित समस्त जिम्मेदारी ग्राम पंचायत लहरपुर (नवीन क्लब गोदान टोला) का होगा।
- समझौता अनुसार विजेता एवं उपविजेता हेतु राशि घोषित करने और राशि का लेखा-जोखा संबंधित समस्त जिम्मेदारी ग्राम पंचायत लहरपुर (नवीन क्लब गोदान टोला) का होगा।
- शासकीय महाविद्यालय जैतहरी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहयोग राशि विभिन्न विभागों में कार्यरत प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक/ अतिथि विद्वान/ अधिकारी/ कर्मचारी गण/ छात्र छात्राओ/ अलुमनाइ एवं उपयुक्त समिति के योगदान द्वारा प्रदान किया जाएगा।

नुच्छेद 5: संशोधन

इस समझौता ज्ञापन में पार्टियों के बीच आपसी सहमति से लिखित में संशोधन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 6: विवादों का निपटारा

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले दोनों पक्षों के बीच कोई भी विवाद आपसी परामर्श और बातचीत से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

शासकीय महाविद्यालय जैतहरी, जिला अनूपपुर
Email; hegcjainu@mp.gov.in
Phone- 07659-262413

ग्राम पंचायत लहरपुर (नवीन क्लब गोदान टोला)
Email; ramsewakpanika1982@gmail.com

